UPLK010123822022

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–11/विशेष न्यायाधीश एन०डी०पी०एस० एक्ट, लखनऊ

पीठासीन अधिकारी–सुरेश चन्द्र–VI(उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP06131

Sessions Case No/1448/2022

उत्तर प्रदेश सरकार .....*अभियोगी*

बनाम

मुन्ना उर्फ वसी, पुत्र वसीम, निवासी–अमराई गांव निकट पुरानी मस्जिद, मछली मंडी, इन्दिरानगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत।

.....*अभियुक्त*

मुकदमा अपराध संख्या–328/2020
अंतर्गत धारा–8/21 स्वापक औषधि
और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985
थाना–गाजीपुर, जनपद लखनऊ।

निर्णय

01. अभियुक्त **मुन्ना उर्फ वसी** के विरुद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र मुकदमा अपराध संख्या–328/2020, अंतर्गत धारा–8/21 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, थाना–गाजीपुर, लखनऊ के आधार पर परीक्षण किया गया है।

02. संक्षेप में फर्द बरामदगी के अनुसार आज दिनांक 24.05.2020 को उपनिरीक्षक विजय शंकर सिंह मय हमराह फोर्स हे0 कां0 543 नागेन्द्र सिंह व कां0 793 प्रदीप कुमार, कां0 406 राहुल गिरी क्राइम टीम सर्किल गाजीपुर के साथ कल्याण अपार्टमेन्ट के पास बन्धा रोड पर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे कि मो0 साइकिल सवार दो संदिग्ध व्यक्ति खर्रम नगर की तरफ से आ रहे थे कि पुलिस वालों को चेकिंग करते देखकर गाडी मोड़कर भागना चाहे कि पुलिस कर्मियों द्वारा घेर

घार कर मौके पर पकड़ लिया। भागने का कारण पूछा तो मो० साइकिल चला रहा व्यक्ति ने बताया कि यह मो0 साइकिल चोरी की है, कोई कागज नहीं है, इसलिए भागना चाहा कि आप लोगों ने पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति चालक का नाम पता पूंछा गया तो उसने अपना नाम निखिल शर्मा उर्फ शिवम शर्मा बताया। मो0 साइकिल हीरो पैशन प्रो नं0 UP 32ET 3735 के कागजात सम्बन्ध में पूछा गया तो बताया कोई कागज नहीं है, इसका नं0 प्लेट बदल दिया है। हम दोनों लोग मो०साइकिल बेच देते हैं, चोरी की गयी गाड़ी से हम लोग अपराध करते है। मो०साइकिल हम लोगों ने काफी दिन पहले चुराया था। जामा तलाशी एवं हमराहियान समक्ष ली गयी तो पहने कपड़ो से 125 रू नगद बरामद हुआ। दूसरे व्यक्ति का नाम पता पूंछा गया तो अपना नाम मुन्ना उर्फ वसी बताया जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो बताने लगा कि साहब मेरे पास मारफीन है जिसे बेचने के लिए जा रहा था कि आप लोगो ने मुझे पकड़ लिया जिस पर उसे उसके अधिकार से अवगत कराते हुए यह बताया गया कि मारफीन रखना जो मादक पदार्थ है, जो आप स्वयं चल कर या किसी मजिस्ट्रेट व राजपत्रित अधिकारी को बुला कर अपनी जामा तलाशी दे सकते हैं जिस पर कहने लगा कि साहब मैं अपने खिलाफ और गवाह नहीं बनाना चाहता, मुझे आप लोगों पर पूरा विश्वास है जब आप लोगो ने मुझे पकड़ लिया है तो मुझे आप सब लोगों को जामा तलाशी लेनी की सहमति देता हूँ कि सहमति पत्र तैयार कर नियमानुसार जामा तलाशी ली गयी तो पहने पैण्ट की जेब से एक पॉलीथीन मे भूरे रंग का पाउडर नुमा बरामद हुआ जिसे खोल कर खुद व हमराहियान को दिखाया व सुंघाया गया जिससे मारफीन जैसी गंध आ रही है। विवेचना किट से तौल उपकरण निकाल कर वजन किया गया तो कुल पन्नी सहित वजन 50 ग्राम है जिसमे से नमूना हेतु 10 ग्राम अलग किया गया। अभियुक्त मुन्ना उर्फ वसी का धारा 8/21 NDPS Act का दण्डनीय अपराध है से अवगत कराते हुए समय 17:45 बजे पुलिस हिरासत व कब्जा पुलिस लिया गया गिरफ्तारी के दौरान मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशों का पूर्णतया पालन किया गया। गिरफ्तारी के दौरान काफी भीड़ इकट्ठा हो गयी जिनसे गवाही हेतु कहा गया तो भलाई बुराई की बात कहते हुए बिना नाम पता बताये चले गये।

03. विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, साक्षियों के साक्ष्य अंकित किये गये तथा बरामद शुदा माल जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण भेजा गया, एफ.एस.एल. रिपोर्ट में जांच करने पर बरामद मादक पदार्थ को हेरोइन होना पाया गया है। अभियुक्त **मुन्ना उर्फ वसी** के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर धारा 8/21

एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

04. अभियुक्त न्यायालय उपस्थित आया। अभियुक्त को आवश्यक पुलिस प्रपत्रों की प्रतियाँ प्रदान करते हुए दिनांक 06.03.2023 को अभियुक्त के विरुद्ध धारा 8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा परीक्षण की मांग की।

05. अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने हेतु अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 विजय शंकर सिंह को परीक्षित कराया गया है।

06. इस स्तर पर अभियुक्त की ओर से जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थनापत्र B–1 उचित माध्यम (जेलर से) अग्रसारित कराकर प्रस्तुत किया गया है। अतः अभियोजन ने अपना साक्ष्य समाप्त किया ।

07. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्त का बयान धारा 313 सी०आर०पी०सी० अंकित किया गया। अभियुक्त ने अपने बयान धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता में अभियोजन कथानक को सही बताते हुए गवाहान द्वारा सही गवाही दिये जाने का कथन किया है तथा यह भी कथन किया है कि उसके द्वारा गलती हो गयी है, उसे माफ किया जाये।

08. मैने अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

09. अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने हेतु अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 विजय शंकर सिंह को परीक्षित कराया गया हैं, साक्षी ने शपथपूर्वक कथन किया है कि दिनांक 24.05.2020 को वह थाना गाजीपुर जनपद लखनऊ में नियुक्त थे, उनके साथ हमराह हे0 कां0 नागेन्द्र सिंह, कां0 प्रदीप कुमार, कां0 राहुल गिरी के साथ कल्याण अपार्टमेन्ट के पास बन्धा रोड़ पर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे कि मो0 साइकिल सवार दो व्यक्ति खर्रम नगर की तरफ से आ रहे थे कि पुलिस वालों को चेकिंग करते देखकर गाडी मोड़कर भागना चाहे कि पुलिस कर्मियों द्वारा घेर घार कर मौके पर पकड़ लिया। भागने का कारण पूंछा तो मोटर साइकिल चला रहा व्यक्ति ने बताया कि यह मोटर साइकिल चोरी की है, जिसका कोई कागज नहीं है, इसलिए भागना चाहा कि आप लोगों ने पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूंछा गया तो उसने अपना नाम निखिल शर्मा उर्फ शिवम शर्मा बताया। मोटर साइकिल हीरो पैशन प्रो नं0 UP 32ET 3735 अज्ञात के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताया कोई कागज नहीं है, इसका नं0 प्लेट बदल दिया है। मो०साइकिल हम

लोगों ने काफी दिन पहले चुराया था। जामा तलाशी एवं हमराहियान समक्ष ली गयी तो पहने कपड़ो से 125 रू नगद बरामद हुआ। दूसरे व्यक्ति का नाम पता पूंछा गया तो अपना नाम मुन्ना उर्फ वसी बताया जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो बताने लगा कि मेरे पास मारफीन है जिसे बेचने के लिए जा रहा था कि आप लोगो ने मुझे पकड़ लिया जिस पर उसे उसके अधिकार से अवगत कराते हुए यह बताया गया कि मारफीन मादक पदार्थ है, आप स्वयं चल कर या किसी मजिस्ट्रेट व राजपत्रित अधिकारी को बुला कर अपनी जामा तलाशी दे सकते हैं जिस पर कहने लगा कि साहब मैं अपने खिलाफ और गवाह नहीं बनाना चाहता, मुझे आप लोगों पर पूरा विश्वास है जब आप लोगो ने मुझे पकड़ लिया है तो मुझे आप सब लोगों को जामा तलाशी लेनी की सहमति देता हूँ कि सहमति पत्र तैयार कर नियमानुसार जामा तलाशी ली गयी तो पहने पैण्ट की जेब से एक पॉलीथीन मे भूरे रंग का पाउडर नुमा बरामद हुआ जिसे खोल कर खुद व हमराहियान को दिखाया व सुंघाया गया जिससे मारफीन जैसी गंध आ रही है। विवेचना किट से तौल उपकरण निकाल कर वजन किया गया तो कुल पन्नी सहित वजन 50 ग्राम है जिसमे से नमूना हेतु 10 ग्राम अलग किया गया। गिरफ्तारी व अन्य कार्यवाही करते समय काफी भीड़ इकट्ठा हो गयी जिनसे गवाही हेतु कहा गया तो भलाई बुराई की बात कहते हुए बिना नाम पता बताये चले गये। साक्षी ने फर्द बरामदगी को प्रदर्श क–1, गिरफ्तारी मेमो को प्रदर्श क–2, सहमति पत्र को प्रदर्श क–3, नक्शा नजरी को प्रदर्श क–4, एफ०आई०आर० को प्रदर्श क–5, एफ०एस०एल रिपोर्ट को प्रदर्श क–6, आरोप पत्र को प्रदर्श क–7 के रूप में साबित किया है।

10. प्रतिपरीक्षा में कहा कि अभियुक्त को मादक पदार्थ के साथ पकड़ा गया था तो उसको बताया गया था कि वह चाहे अपनी तलाशी राजपत्रित अधिकारी व मजिस्ट्रेट के समक्ष दे सकता है, परन्तु अभियुक्त ने सहमति पत्र देकर जामातलाशी हेतु पुलिस वालों को अधिकृत किया था। धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट का अनुपालन किया गया था। जामातलाशी के समय 50 ग्राम मारफीन अभियुक्त के पास से बरामद हुआ था जिसे तौलने पर मय पन्नी उसका वजन 50 ग्राम था जिसमें से 10 ग्राम नमूना परीक्षण हेतु अलग किया गया था, बाद में उसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेज दिया गया था। मादक पदार्थ की बरामदगी की सूचना उच्चाधिकारियों को जरिये मोबाइल फोन तत्काल दी गयी थी। मौके पर जनता के गवाह मौजूद थे, परन्तु कहने पर कोई गवाही के लिये भलाई–बुराई के डर से तैयार नहीं हुआ।

11. साक्ष्य के स्तर पर अभियुक्त की ओर से जुर्म स्वीकारोक्ति हेतु प्रार्थनापत्र B–1 प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त से बताया गया कि वह जुर्म स्वीकार करने के लिए

बाध्य नहीं है, तो अभियुक्त ने कहा कि वह स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार कर रहा है, उस पर किसी ने कोई दबाव नहीं डाला है।

12. फर्द बरामदगी में यह तथ्य स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि जब पुलिस द्वारा अभियुक्त को पकड़ा गया और उसने यह बताया कि उसके पास मारफीन है जिस पर पुलिस दल ने उससे कहा कि वह अपनी तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष दे सकता है, परंतु अभियुक्त द्वारा पुलिस के द्वारा ही तलाशी लेने की सहमति व्यक्त की गयी, जिसके पश्चात् अभियुक्त का सहमति पत्र तैयार किया गया तथा उसकी तलाशी ली गयी। दौरान जामातलाशी अभियुक्त के पास से मारफीन बरामद हुआ। मौके पर पकड़े गये व्यक्ति से मारफीन रखने का लाइसेन्स तलब किया तो दिखा सकने में कासिर रहा। बरामद मारफीन का माप किया गया तो वजन 50 ग्राम पाया गया। उक्त तथ्यों की पुष्टि साक्षी पी०डब्लू०–1 विजय शंकर सिंह द्वारा अपने साक्ष्यों में की गयी है। इस प्रकार, यह तथ्य स्पष्ट है कि पुलिस ने धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट के आज्ञापक प्रावधान का अनुपालन किया है तथा अभियुक्त के कब्जे से हेरोइन बरामद किया गया जिसका वजन करने पर 50 ग्राम पाया गया तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श क–6 के अनुसार परीक्षणोपरान्त बरामद मादक पदार्थ का हेरोइन होना प्रमाणित है।

13. इस प्रकार पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्यों एवं अभियुक्त द्वारा की गयी जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकलता है–

(1) अभियुक्त के कब्जे से 50 ग्राम प्रतिबन्धित मादक पदार्थ की बरामदगी तथा उक्त मादक पदार्थ को रखने का कोई वैध अधिकार–पत्र न होने का तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित है। उक्त मादक पदार्थ विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श क–7 के अनुसार परीक्षणोपरान्त हेरोइन होना प्रमाणित है।

(2) अभियोजन पक्ष प्रश्नगत प्रकरण में धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट के आज्ञापक प्रावधान का युक्तियुक्त अनुपालन किया गया है।

14. उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचन के आधार पर अभियुक्त मुन्ना उर्फ वसी को मुकदमा अपराध संख्या 328/2020, अंतर्गत धारा 8/21 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, थाना गाजीपुर, लखनऊ में दोष सिद्ध किये जाने योग्य है। अतः अभियुक्त मुन्ना उर्फ वसी को मुकदमा अपराध संख्या 328/2020, अंतर्गत धारा 8/21 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, थाना

गाजीपुर, लखनऊ में दोष सिद्ध किया जाता है। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है तथा जेल से तलब होकर उपस्थित है। अतः उसे आत्म समर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पुनः पेश हो।

दिनांक 17.06.2023

(सुरेश चन्द्र VI),
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–11/विशेष न्यायाधीश,
एन.डी.पी.एस. एक्ट, लखनऊ।

दिनांक 17.06.2023

15. पत्रावली सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पुनः पेश हुयी।

16. अभियुक्त मुन्ना उर्फ वसी को सजा के बिन्दु पर व्यक्तिगत रूप से सुना। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह मेहनत मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का भरण–पोषण करता है। उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है तथा वह अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला अकेला व्यक्ति है। अतः उसे कम से कम सजा से दण्डित किया जाये।

17. अभियुक्त के कब्जे से 50 ग्राम हेरोइन बरामद हुआ है, जो हेरोइन की न्यूनतम मात्रा 05 ग्राम से अधिक है तथा वाणिज्यिक मात्रा 250 ग्राम से कम है। अभियुक्त के पास से हुई प्रतिबंधित मादक पदार्थ की बरामदगी व मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त मुन्ना उर्फ वसी को धारा 8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट के में अपराध में निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्त **मुन्ना उर्फ वसी** को मुकदमा अपराध संख्या 328/2020, अंतर्गत धारा 8/21 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, थाना गाजीपुर, लखनऊ के अपराध में दोषी पाते हुए 02(दो) वर्ष 06 (छः) माह के सश्रम कारावास तथा 25,000/–(पच्चीस हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता

है। अर्थदण्ड न अदा किये जाने की स्थिति में अभियुक्त को 01(एक) माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

1. अभियुक्त द्वारा इस मामले में जेल में बितायी गयी अवधि, सजा में समायोजित की जायेगी।
2. बरामदशुदा माल मुकदमाती का निस्तारण नियमानुसार बाद मियाद अपील अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जायेगा।
3. अभियुक्त का सजायावी वारण्ट बनाकर जिला कारागार, लखनऊ को भेजा जाये।
4. निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाए।

दिनांक 17.06.2023

(सुरेश चन्द्र VI),
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–11/विशेष न्यायाधीश,
एन.डी.पी.एस. एक्ट, लखनऊ।

उपरोक्त निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक 17.06.2023

(सुरेश चन्द्र VI),
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–11/विशेष न्यायाधीश,
एन.डी.पी.एस. एक्ट, लखनऊ।

Digitally signed by SURESH CHANDRA
Date: 2023.06.17 16:46:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court